भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3458

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 / 19 श्रावण, 1948 (शक)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन

†3458.श्री अनुराग शर्माः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के उद्देश्यों, मुख्य विशेषताओं और इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसके आरंभ के बाद से अब तक देश में कवर किए गए लाभार्थियों तथा सृजित रोजगार के अवसरों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय परिव्यय, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत पंजीकृत नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता और लाभों के समय पर संवितरण तथा युवाओं, महिलाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश भर में उक्त योजना के परिणामों की निगरानी करने, रोजगार सूजन का आकलन करने और सतत् औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, दिनांक 1 जुलाई 2025 को, विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, एमएसएमई सहित सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से दिनांक 31.07.2027 तक दो वर्ष है और वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 तक की अवधि के लिए ₹99,446 करोड़ का बजटीय परिव्यय है।

इस योजना में दो भाग शामिल हैं, अर्थात भाग क और भाग ख, तथा यह प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

योजना के भाग क के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों स्थापनों के पहली बार रोजगार में

जारी..2/-

आने वाले कर्मचारी एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के पात्र होंगे, जो अधिकतम ₹15,000 के अध्यधीन होगा। यह प्रोत्साहन रोजगार के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय होगा। ₹7,500 तक, पहली किस्त, छह महीने का निरंतर रोजगार पूरा होने के बाद वितरित की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पात्रता बारह महीने का रोजगार पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सफल समापन के बाद उत्पन्न होगी। यह दूसरी किस्त एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक उपयुक्त बचत साधन/बचत खाते में जमा की जाएगी।

भाग ख दो वर्षों के लिए कम से कम 6 महीने तक बनाए रखे गए प्रत्येक अतिरिक्त रोजगार के लिए प्रति माह ₹3,000 तक प्रदान करके नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए अगले दो वर्षों तक विस्तारित लाभ शामिल हैं।

इस योजना का उद्देश्य 2 वर्ष की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना भाग क के अधीन 1.92 करोड़ पहली बार रोजगार में आने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना के भाग ख के अधीन नियोक्ताओं को लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, 1952 (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित) के अधीन आने वाले नए और साथ ही छूट प्राप्त स्थापनों सहित सभी स्थापन इस योजना के अधीन पात्र हैं, परंतु वे नियमित रूप से अंशदान के साथ ईसीआर दाखिल करते हों और योजना की अन्य शर्तों को पूरा करते हों।

कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रोत्साहन की पात्रता के मानदंडों को रेखांकित करने वाले, योजना के व्यापक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। देश भर में व्यापक जनसंपर्क प्रयासों के माध्यम से इस योजना और इसके प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

योजना से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और लाभार्थियों तथा क्षेत्र-वार प्रगति की वास्तविक समय (रियल-टाइम) में निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmvbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक सुदृढ़ निगरानी ढांचा स्थापित किया गया है। योजना की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रम-प्रधान और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधित्व वाली एक संचालन समिति और एक आंतरिक कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।

पीएमवीबीआरवाई एक मांग-संचालित योजना है। योजना के कार्यान्वयन से लेकर जून 2026 तक, पूरे देश में भाग क के अधीन पहली बार रोजगार में आने वाले 13.18 लाख कर्मचारियों को ₹744.58 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग ख के अधीन 67,369 लाभार्थी स्थापनों को ₹2,068.84 करोड़ वितरित किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत से पंजीकरण और प्रोत्साहन वितरण का राज्य-वार विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।

जारी.. 3/-

कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण, आधार प्रमाणीकरण और आधार-बैंक खाता लिंकेज के सत्यापन सहित उचित सत्यापन के पश्चात उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ढांचे के तहत आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाता है। स्थापनों को प्रोत्साहन राशि का वितरण स्थापन के प्रत्यय पत्रों (क्रेडेंशियल्स) के उचित सत्यापन के पश्चात उनके पैन से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है।

* *****

संलग्नक

"प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री अनुराग शर्मा द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3458 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

रोजगार सृजन और प्रोत्साहन वितरण का विवरण

राज्य	भाग क		भाग - ख		
	पहली बार लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या	प्रोत्साहन वितरण (रु. में)	लाभार्थी स्थापनों की संख्या	वितरित राशि (रु. में)	भाग-ख के तहत सृजित अतिरिक्त रोजगार
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	353	2,265,364	27	3,080,177	304
आंध्र प्रदेश	34,673	168,487,149	1,447	355,493,274	37,246
अरुणाचल प्रदेश	254	1,138,212	20	1,814,835	196
असम	7,879	34,658,951	526	90,696,260	10,188
बिहार	17,255	86,204,143	474	133,695,908	21,621
चंडीगढ़	3,881	24,185,370	208	89,799,536	9,133
छत्तीसगढ	16,599	78,819,672	918	180,033,503	17,288
दादरा और नगर हवेली	2,618	13,477,878	187	40,294,284	4,102
दमन और दीव	1,604	8,254,081	99	23,512,028	2,477
दिल्ली	85,616	532,505,789	3,632	1,498,800,611	129,616
गोवा	4,627	28,186,465	385	79,231,411	7,793
गुजरात	87,381	496,862,325	5,794	1,631,361,034	145,596
हरियाणा	76,971	455,602,523	3,691	1,518,758,075	136,347
हिमाचल प्रदेश	8,318	45,927,795	605	99,325,277	8,964
जम्मू और कश्मीर	3,707	17,750,157	212	52,323,604	5,228
झारखंड	11,961	61,215,501	747	194,566,368	18,765
कर्नाटक	157,284	1,017,585,316	7,707	2,830,727,347	223,692

केरल	31,915	192,097,069	1,437	405,948,821	36,884
लद्दाख	31	204,608	5	484,089	31
लक्षद्वीप	15	97,727	-	-	-
मध्य प्रदेश	35,605	177,753,668	1,663	315,471,640	33,536
महाराष्ट्र	249,068	1,494,229,385	12,704	4,359,523,430	386,138
मणिपुर	513	1,765,615	25	2,308,835	405
मेघालय	896	5,282,892	36	9,241,718	821
मिज़ोरम	312	2,048,907	7	517,702	94
नागालैंड	364	1,694,326	15	3,481,547	305
ओडिशा	21,875	112,151,379	1,354	337,514,769	31,526
पुदुचेरी	2,660	12,695,893	156	20,281,434	2,459
पंजाब	24,430	130,970,037	1,289	282,549,834	27,372
राजस्थान	44,421	202,100,767	2,542	529,555,818	68,726
सिक्किम	557	3,328,479	33	11,746,810	897
तमिलनाडु	152,698	874,765,367	7,260	2,134,115,387	198,590
तेलंगाना	82,905	444,465,975	3,778	1,190,248,790	115,406
त्रिपुरा	805	3,537,565	37	9,847,727	1,088
उत्तर प्रदेश	69,364	383,493,402	4,033	1,357,953,096	118,319
उत्तराखंड	13,998	76,420,136	823	206,115,676	19,728
पश्चिम बंगाल	64,716	254,773,968	3,493	688,133,501	89,297
कुल	**1,318,129**	**7,447,003,856**	**67369**	**20,688,554,156**	**1,910,178**
